



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 543 / 7 सी०
सेवा में,

दिनांक 29-3-मार्च 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत में कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.095 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/11278/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/१९३/२०१६/एफ०सी०/२९३४ दिनांक १६.०३.२०२०
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार का पत्र संख्या ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/१९३/२०१६/एफ०सी०/२९३४ दिनांक १६.०३.२०२० द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त संख्या-2 शर्त सं० 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	प्रतिपूरक वनीकरण: क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.19 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम ठाना मटेणा सिविल खसरा नं० 99, 100, 1034, 1075, 1087, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1123, 1124, 1141, 1177, 1178, 1179 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	शर्त संख्या-3 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रु 1412801.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० 3)।

	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पत्र सं० 3848/ग्यारह-13/2018-19 दिनांक 03 मार्च 2023 गैर वानिकी भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.095 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या-5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु 1770275.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० 3)। शर्त संख्या-5(ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं० 4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 275 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में 275 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से कुल रु

	फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	3183076.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं० 3)।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	10. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या-21 शर्त सं0 21 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।

पत्रांक:- 543 / 7सी0

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता (प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,

अधिशाली अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

तददिनांक 29/3/23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

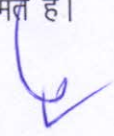
परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

1 = 10/11/2020

हस्ता - 3

17202011070761

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMFA fund	
Date : 02-11-2020	
Client Code	CAM5088
Location	UTTANCHAL
Remitter Name	EXECUTIVE ENGINEER
PRR Application No.	6111278735
MoEF/SG File No.	88/ICP/06/193/2018/FC
Address	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No.	ee@dalmora@rediffmail.com
Email Id	7532977882
Mobile No.	5962-2329633
Landline No.	
Amount (in Rs)	3102675/-
Beneficiary Branch and Code	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Thirty One Lakh Eighty Three Thousand and Seventy Six Rupees Only

Executive Engineer,
Provincial Division P.W.D.,
Almora

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against ISSUED.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

छाया प्रति लिखित

महाराष्ट्र सरकार
ग्रामीण विकास, पंचायत राज विभाग
अमरावती

176/2020 asp? ROAD/44176/2020) tion of Dhautigad agav Syura Link Motor Length 6.00KM	ROAD4417620203946144176394	28 Dec 2020	CA: 2500557/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2436156/- Other Charges: 0/- Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4936713/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 31 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On 31 Mar 2021 Transaction Date 14 Jun 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/3113112281215N)
7 FP/UK/ROAD/44236/2020 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/44236/2020) CONSTRUCTION OF KARNATAK KHOLA TO RAILAPALI AND CONNECTING SARKAR KI AALI TO VIKASH BHAWAN MOTER ROAD LENGTH 3.00KM	ROAD4423620206636144236663	15 Oct 2020	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 607725/-, in outer of 798600/- tree plantation road : Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1406325/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 01 Apr 2021 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On 25 May 2021 Transaction Date 14 Jun 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/3113112441217Y)
8 FP/UK/ROAD/42092/2019 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/42092/2019) Shitlakhet Bora State To Syahi devi Temple Motor Road In Distt. Almora Length 3.800KM	ROAD4209220191516142092151	14 Sep 2020	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 82125/-, tree plantation 958320/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1040445/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 02 Oct 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On 31 Dec 2020 Transaction Date 18 Dec 2020	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/9112912571216S) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.as)
9 FP/UK/ROAD/11278/2015 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11278/2015) kathpuria bangsar motor road (length 3.00 km)	ROAD1127820157356111278735	16 Mar 2020	CA: 1412801/- PCA: 0/-, Addl CA: 0/- Safety Zone: 0/-, CAT: 0/- NPV: 1770275/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3183076/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 26 Aug 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On 02 Nov 2020 Transaction Date 11 Nov 2020	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/8112212521213T) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.as)
10 FP/UK/ROAD/42915/2019 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/42915/2019) KARBALA TO MAL MOTOR ROAD LENGTH 4.00KM	ROAD4291520198346142915834	11 Aug 2020	CA: 1317041/- PCA: 0/-, Addl CA: 0/- Safety Zone: 0/-, CAT: 0/- NPV: 1283121/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2600162/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 20 Aug 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On 06 Nov 2020 Transaction Date 11 Nov 2020	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/81120124912136) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.as)
11 FP/UK/ROAD/11569/2015 (./viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11569/2015) dwarso - kakrighat motor road to turkoda motor road length 2.00 km.	ROAD1156920152146111569214	16 Apr 2019	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 496850/-, tree plantation 1331000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1827860/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by 29 Aug 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On 05 Oct 2020 Transaction Date 28 Sep 2020	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/7114122112121M) Generated Challan (./UserAccount/GenerateChallanCorp.as) हामा पनि मृत्यापित महाश्वक प्रशिक्षण प्राचीन बाबा, लो.नि.दि. अमोडा

आदेश

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1099/7 सी दिनांक 28 मई, 2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 193 / 2016 / एफ.सी. / 2934 दिनांक 16.03.2020 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम ठाना मटेणा की 4.19 है० गौचर भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने बाबत उप जिला अधिकारी जैती/भनोली को अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली द्वारा अपने कार्यालय पृष्ठांकन पत्र दिनांक 14.06.2021 एवं पत्र संख्या 564/एम0जे0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अन्तर्गत कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूर्ति-वृक्षारोपण हेतु ग्राम ठानामटेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठानामटेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए प्रस्तावित कर प्रस्तावित भूमि का मौका नक्शा, खतौनी, संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप-2 पर संयुक्त रिपोर्ट एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित कर यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम ठानामटेणा में उक्त भूमि हस्तान्तरण करने पर ग्राम में 89.440 है० गौचर भूमि ग्राम में अवशेष रह जायेगी। ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल 219.082 है० है। ग्राम में 4.190 है० भूमि हस्तान्तरित करने उपरान्त कुल 89.440 है० भूमि शेष रह जायेगी जो ग्राम के उक्त भौगोलिक क्षेत्रफल के 40.82 प्रतिशत शेष रह जायेगी जो शासनादेश संख्या 1332 / XVIII(II) / 2014-18(59) / 2013, दिनांक 07 जुलाई, 2013 के अनुसार गांव में 5 प्रतिशत गौचर भूमि सुरक्षित रखी जानी है, के मानक से अधिक है। उक्तानुसार ही प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 450/ग्यारह-01/2021-22 दिनांक 22-10-2021 से प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में राजस्व परिषद के पत्रांक 959/पाँच-54/2021-22 दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या I/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 से उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 4.190 है० सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति के कम में प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या I/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 से जनपद अल्मोड़ा के कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम ठानामटेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठानामटेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० गौचर भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित

कमश:-

R. No. 699
File No. 7
Date 15/03/2023

किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या I/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी ग्राम ठानामठेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठाणामठेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, लमगड़ा तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 03 / 03 / 2023

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या- 3848 / ग्यारह-13 / 2018-19,

दिनांक: 03 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, लमगड़ा को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 7- प्रभारी अधिकारी, वन अनुभाग, जिला कार्यालय, अल्मोड़ा।

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

छाया प्रति स्थापित

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

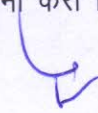
परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

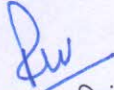

अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

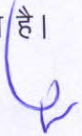
परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....5 ख

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

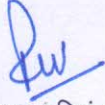
प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि होती है तो बड़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में 275 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।
पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



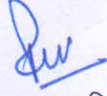
अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....7

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



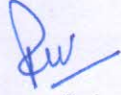
अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....9

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साइनेज लगाए जायेंगे।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....11

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....13

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

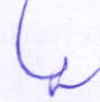
बिन्दु सं०.....14

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

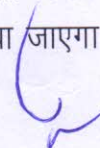
बिन्दु सं०.....15

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



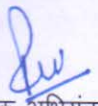
अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....21

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

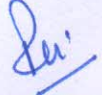

अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनसद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

ज्ञात किया जाता है कि रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर
अल्मोड़ा की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।